उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-18/2022/232प्र0स0/92-2-2022-06जॉच/2012

लखनऊ :: दिनांक:: 27 जुलाई 2022

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-रमाबाईनगर के डॉ0 अम्बेडकर ग्राम-लाडपुर पैठ एवं कपासी कला में वर्ष 2011-12 में कराये गये सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्यो में की गयी अनियमितताओं के लिये श्री देवेन्द्र कुमार, तत्कालीन अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-रमाबाईनगर सम्प्रति प्रखण्ड-सहारनपुर के विरूद्ध निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या-जी-111/ग्रा0अ0वि0/स्था0-3/अव0 अभि0/व्य0प0-डी-131/2017-18 दिनांक 15.06.2017 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर को जॉच अधिकारी नामित किया गया। जॉच अधिकारी द्वारा नियमानुसार जॉच कार्यवाही पूर्ण करते हुये जॉच आख्या नियुक्ति प्राधिकारी/निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को अपने पत्र संख्या-52/ग्रा0अ0वि0/एस0टी0/अनु0जांच/श्रीदेवेन्द्र कुमार/अव0 अभि0/2018-19 दिनांक 07.04.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी। जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में कोई भी आरोप प्रमाणित नही पाया गया था, किन्तु नियुक्ति प्राधिकारी/निदेशक एवं मुख्य अभियंता द्वारा जॉच अधिकारी की जॉच आख्या के सम्यक परीक्षणोपरान्त निर्माण कार्यो में खराब कान्स्ट्रक्शन ज्वाइंट बनाये जाने एवं पर्यवेक्षणीय दायित्वो में शिथिलता/लापरवाही बरतने हेतु श्री देवेन्द्र कुमार को उत्तरदायी पाया गया। तत्क्रम में उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) में विहित प्राविधानों के अंतर्गत निदेशालय के पत्र संख्या-921 दिनांक 28.06.2019 द्वारा अभ्यावेदन पत्र मॉगा गया जो उनके पत्र दिनांक 03.10.2019 द्वारा उपलब्ध कराया गया।

2- नियुक्ति प्राधिकारी/निदेशक एवं मुख्य अभियंता द्वारा जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री देवेन्द्र कुमार, तत्कालीन अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-रमाबाईनगर सम्प्रति प्रखण्ड-सहारनपुर को जनपद-रमाबाईनगर के डॉ0 अम्बेडकर ग्राम लाडपुर पैठ एवं कपासी कला में वर्ष 2011-12 में कराये गये सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन निर्माण कार्यो में खराब कान्स्ट्रक्शन ज्वाइन्टस बनाये जाने तथा पर्यवेक्षण में शिथिलता एवं लापरवाही के निमित्त निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1499/अव0अभि0/व्य0प0- डी-131/पत्रा0सं0-10/2019-20 दिनांक 17.10.2019 द्वारा वर्ष 2019-20 के लिये परिनिन्दा का दण्ड देते हुये कार्यवाही समाप्त की गयी।

3- उक्त दण्डादेश के विरूद्ध प्राप्त श्री देवेन्द्र कुमार, तत्कालीन अवर अभियंता के अपीलीय प्रार्थना पत्र दिनांक 26.02.2022 व निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 24.05.2022 द्वारा अपीलीय प्रार्थना पत्र में उल्लिखित कथनों के संबंध में उपलब्ध करायी गयी संस्तुति सहित आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि श्री देवेन्द्र कुमार, अवर अभियंता द्वारा प्रश्नगत निर्मित मार्ग पर कान्स्ट्रक्शन ज्वाइंट में विटुमिन भराते हुए साइड की पटरियों में भी मिटटी भरा दी गयी थी, जिससे कान्स्ट्रक्शन ज्वाइंट बनाये जाने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की अभिलेखों से पुष्टि एवं कार्य विशिष्टियों के अनुरूप होना पाया गया। निर्मित कार्य के लगभग 11 वर्ष बाद भी निर्माण कार्य संतोषजनक स्थिति में होने के दृष्टिगत निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1499/अव0अभि0/व्य0प0- डी-131/पत्रा0सं0-10/2019-20 दिनांक 17.10.2019 द्वारा वर्ष 2019-20 के लिये दी गयी परिनिन्दा के दण्ड को एतदद्वारा विलोपित/समाप्त किया जाता है।

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-18/2022/232प्र0स0(1)/92-2-2022 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उ0प्र0 लखनऊ।

3- अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड-सहारनपुर।

4- श्री देवेन्द्र कुमार, तत्कालीन अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-रमाबाईनगर सम्प्रति प्रखण्ड-सहारनपुर द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।